

तरकरी पर शिकंजा: दिल्ली में कर्टेब 10 करोड़ रुपये कीमत का मादक पदार्थ जब्त, बैंकों से आया यात्री गिरफ्तार

नई दिल्ली । इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कस्टम अधिकारियों ने बैंकों से आए एक भारतीय यात्री के पास से 9.84 किलोग्राम मॉरिजुआन बरामद कर उसे मादक पदार्थ तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया है। अधिकारियों ने गुरुवार को यह जानकारी दी। एक आधिकारिक बयान के अनुसार, यात्री 26 कनवरी को टर्मिनल तीन पर पहुंचा था और साईट प्रोसेसिंग के आधार पर उसे रोक लिया गया। इसके बाद उसे ग्रीन चैनल पर उसके सामान की एक्स-रे जांच के लिए ले जाया गया, फिर विस्तृत तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान एक हरे रंग के बैग से एक तरफ काले और एक तरफ पारदर्शी कुल नौ पॉलीथीन बरामद किए गए, जिनमें कई परतों में वैज्यूम-सील पैकेट रखे हुए थे।

बहुजन हिताय!

बहुजन सुखाय!

सक्षम भारत



राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

इन्द्रजीत सिंह, मुख्य संवाददाता/सचिव, CNSI-Delhi

दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से प्रसारित

www.sakshambharat.net, E-mail : saksham.bharat@hotmail.com

Member : CENTRAL NEWSPAPER SOCIETY OF INDIA DELHI

● वर्ष: 24 ● अंक: 102 ● नई दिल्ली ● शुक्रवार 30 जनवरी 2026 ● प्रभात कालीन ● मूल्य: 3 रूपया ● पृष्ठ: 4

रिपब्लिकन

मजदूर संगठन
के सदस्य बनें

E-mail :
rmsdp@hotmail.com

अनागरिक गौता भारती भवन
बी-2/370, सुल्तानपुरी

दिल्ली-86

दिल्ली हाई कोर्ट की बड़ी टिप्पणी, Freedom of Speech के नाम पर किसी की प्रतिष्ठा से खिलवाड़ नहीं

नई दिल्ली । दिल्ली उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यद्यपि एक मौलिक अधिकार है, असंश्लेषित नहीं है और इसका उपयोग व्यक्तियों या संगठनों के विरुद्ध मानहानिकारक या अपमानजनक अभियानों को उचित ठहराने के लिए नहीं किया जा सकता है। अदालत ने कहा कि संविधान स्वयं अनुच्छेद 19(2) के तहत उचित प्रतिबंध लगाता है, और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार मानहानिकारक, दुर्भावनापूर्ण या दूसरों की प्रतिष्ठा और गरिमा को ठेस पहुंचाने के उद्देश्य से दिए गए भाषण को कवर नहीं करता है। ये टिप्पणियां अभिव्यक्ति की

स्वतंत्रता के अधिकार का हवाला देकर कुछ वीडियो और सोशल मीडिया पोस्ट के प्रसार का बचाव करने के प्रयास के बाद की गई उच्च न्यायालय ने कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को किसी व्यक्ति या संस्था की प्रतिष्ठा या साख को नुकसान पहुंचाने का लाइसेंस नहीं माना जा सकता है। अदालत ने कहा कि जानबूझकर गरिमा या प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने वाला भाषण संवैधानिक संरक्षण के दायरे से बाहर है। न्यायमूर्ति योति सिंह ने इस बात पर जोर दिया कि प्रतिष्ठा का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का एक अभिन्न अंग है। किसी भी प्रकार का भाषण



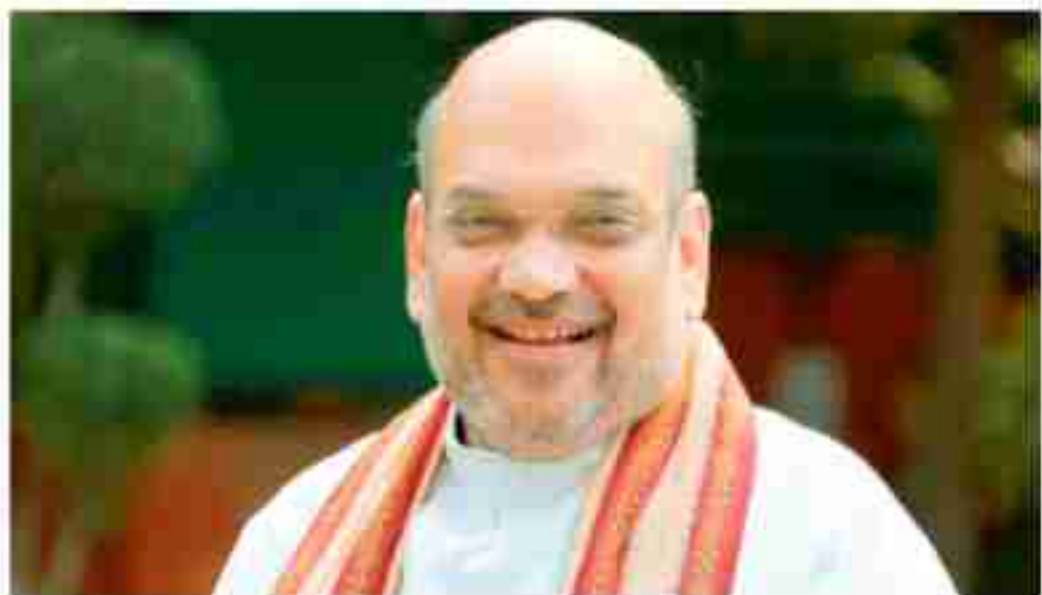
जो इस अधिकार का उल्लंघन करता है, उसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के रूप में संरक्षण नहीं दिया जा सकता। न्यायालय ने कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और प्रतिष्ठा के अधिकार के

बीच संतुलन बनाए रखना संवैधानिक ढांचे के लिए आवश्यक है। ये टिप्पणियां तब आईं जब न्यायालय फिजिक्सवाला लिमिटेड द्वारा दायर एक मुकदमे की सुनवाई

कर रहा था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि एक पूर्व कर्मचारी ने यूट्यूब वीडियो और सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से कंपनी, उसके संस्थापक और कर्मचारियों को घोटाला बताकर एक निरंतर ऑनलाइन अभियान चलाया था। कंपनी ने दावा किया कि सामग्री अपमानजनक, भ्रामक थी और इसका उद्देश्य प्रतिद्वंद्वी व्यवसाय को बढ़ावा देते हुए जनता के विश्वास और सद्भावना को नुकसान पहुंचाना था। वीडियो, प्रतिलेख और रिकॉर्डों में मौजूद अन्य सामग्री की समीक्षा करने के बाद, न्यायालय ने पाया कि प्रथम दृष्टया अंतरिम राहत का मामला बनता है। न्यायालय ने माना कि

सामग्री स्पष्ट रूप से मानहानिकारक और अपमानजनक प्रतीत होती है, और इसका उद्देश्य कंपनी द्वारा वर्षों से अर्जित प्रतिष्ठा और सद्भावना को घूमिल करना था। न्यायालय ने कहा कि प्रतिष्ठा को नुकसान अपूरणीय क्षति है, जिसकी भरपाई पैसों से नहीं की जा सकती। न्यायालय ने यह भी कहा कि डिजिटल प्लेटफॉर्म की गति, पहुंच और स्थायित्व के कारण ऑनलाइन मानहानि का प्रभाव कहीं अधिक व्यापक और गंभीर होता है। न्यायालय ने कहा कि ऐसी सामग्री तत्काल और अपरिवर्तनीय क्षति पहुंचा सकती है, इसलिए त्वरित न्यायिक कार्रवाई आवश्यक है।

Northeast पर बीजेपी का Mega Focus, अमित शाह के दौरे से सधेंगे विकास और सियासत के समीकरण



नई दिल्ली ।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 30 जनवरी (शुक्रवार) को राज्य के अपने एक दिवसीय दौरे के दौरान असम विधानसभा भवन और वन्यजीव अनुसंधान संस्थान की आधारशिला रखने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। इस दौरे में शाह राय भर में कई आधिकारिक, सांस्कृतिक और संगठनात्मक कार्यक्रमों में भाग लेंगे। दौरे की शुरुआत डिब्रूगढ़ से होगी, जहां गृह मंत्री असम विधानसभा भवन और वन्यजीव अनुसंधान संस्थान की आधारशिला रखेंगे, जो राय के विधायी ढांचे और वन्यजीव संरक्षण ढांचे को मजबूत करने की

दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसी अवसर पर, शाह ऊपरी असम में खेल अवसरचना को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बनाई गई खानिकर स्टेडियम परियोजना के प्रथम चरण का भी उद्घाटन करेंगे। यह कार्यक्रम सुबह लगभग 10:30 बजे डिब्रूगढ़ के खानिकर में आयोजित किया जाएगा। राज्य सरकार के अधिकारियों ने बताया कि नए विधानसभा परिसर को आधुनिक सुविधाओं से लैस एक आधुनिक विधायी सुविधा के रूप में परिकल्पित किया गया है, जबकि वन्यजीव अनुसंधान संस्थान असम की समृद्ध जैव विविधता के वैज्ञानिक अनुसंधान, संरक्षण और सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। बाद में

केंद्रीय गृह मंत्री दोपहर 12:15 बजे करेन चापेरी में आयोजित होने वाले 10वें मिशिंग सांस्कृतिक महोत्सव में भाग लेने के लिए धेमाजी जाएंगे। मिशिंग समुदाय द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित यह महोत्सव पारंपरिक नृत्य, संगीत, कला, वेशभूषा और स्थानीय भोजन के माध्यम से जनजाति की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का जश्न मनाता है। शाह गुवाहाटी पहुंचेंगे और असम राय कार्यालय में पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। इस मुलाकात में संगठनात्मक मामलों, आगामी राजनीतिक कार्यक्रमों और राज्य में जमीनी स्तर पर संपर्क मजबूत करने पर चर्चा होने की उम्मीद है। पार्टी की असम इकाई के वरिष्ठ नेता केंद्रीय गृह मंत्री को चल रही पहलों, संगठनात्मक तैयारियों और भविष्य की रणनीतियों के बारे में जानकारी देंगे। उम्मीद है कि यह बैठक आगामी राजनीतिक गतिविधियों से पहले पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भरेगी। असम में विकास पहलों, सांस्कृतिक गतिविधियों और संगठनात्मक सुदृढ़ीकरण के संदर्भ में शाह की यात्रा को महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

हमारे बीच सब ठीक, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खरगे से मुलाकात कर बोले शशि थरूर



नई दिल्ली।

कांग्रेस से तनातनी की अटकलों के बीच तिरुवनंतपुरम से सांसद शशि थरूर ने लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे से मुलाकात की है। यह मुलाकात संसद भवन में लगभग 90 मिनट तक हुई। मीटिंग के बाद थरूर ने पत्रकारों से कहा, हमारी बहुत अच्छी, रचनात्मक और सकारात्मक बातचीत हुई। सब कुछ ठीक है और हम सब एक ही पेज पर आगे बढ़ रहे हैं। बताया जा रहा है कि शशि थरूर ने ही राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खरगे से मिलने का समय मांगा था

ताकि वे अपने विचार और चिंताएं बता सकें। यह भी कहा जा रहा है कि चुनाव से पहले पार्टी इन शिकायतों को दूर करने की कोशिश करेगी। पिछले साल अप्रैल में पहलगाम आतंकी हमले के बाद थरूर के कांग्रेस के साथ संबंध तेजी से खराब होते दिखे। तिरुवनंतपुरम से चार बार के लोकसभा सांसद ने प्रधानमंत्री द्वारा संकट से निपटने के तरीके की जमकर तारीफ की थी, जिस पर कांग्रेस नेताओं ने तीखी प्रतिक्रिया दी थी। इनमें से कई नेताओं ने थरूर पर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का न्योता पाने की कोशिश करने का ताना भी मारा था। इसके अगले कुछ

मीटिंग के बाद थरूर ने पत्रकारों से कहा, हमारी बहुत अच्छी, रचनात्मक और सकारात्मक बातचीत हुई। सब कुछ ठीक है और हम सब एक ही पेज पर आगे बढ़ रहे हैं।

महीनों में रिश्ते और खराब होते दिखे, जिनमें नवंबर 2025 की दो घटनाएं शामिल हैं। पहली घटना तब हुई जब थरूर एक प्राइवेट इवेंट में गए जहां प्रधानमंत्री बोल रहे थे और फिर उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया, यह भाषण एक आर्थिक आउटलुक और सांस्कृतिक बदलाव का आह्वान था, जो देश को तरकी के लिए बेचैन होने के लिए प्रेरित करता है। कांग्रेस की सुप्रिया श्रीनेत और संदीप दीक्षित ने इस पर पलटवार करते हुए भाषण को बकवास बताया और थरूर की टिप्पणियों पर सवाल उठाए। नवंबर में दूसरी घटना इंडियन पॉलिटिक्स आर ए फेमिली बिजनेस नाम के एक आर्टिकल की थी। इसमें कांग्रेस जैसी परिवार-आधारित पार्टियों की आलोचना की गई थी, जो पार्टी को बिल्कुल पसंद नहीं आई।

दिल्ली कोर्ट का बड़ा फैसला : Illegal Immigrant होना अनिश्चितकाल जेल का आधार नहीं, बिलाल हुसैन को राहत

नई दिल्ली ।

साकेत जिला न्यायालय ने अवैध बांग्लादेशी अप्रवासी बिलाल हुसैन की जमानत रद्द करने से इनकार कर दिया, यह देखते हुए कि उसने न तो स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया है और न ही जमानत की शर्तों का उल्लंघन किया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि आरोपी एक अवैध अप्रवासी है, जो उसे अनिश्चित काल तक हिरासत में रखने का एफएमआर आधार नहीं हो सकता। वह फतेहपुर बेरी पुलिस स्टेशन में वर्ष 2024 में दर्ज एक एफआईआर में आरोपी है। उसे 28 दिसंबर, 2024 को गिरफ्तार किया गया था। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एसजे) गौरव गुप्ता ने मजिस्ट्रेट अदालत द्वारा बिलाल हुसैन को दी गई जमानत रद्द करने की दिल्ली

पुलिस की याचिका खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे यह पता चले कि आरोपी ने किसी भी तरह से उसे दी गई स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया है या उसने जमानत की किसी भी शर्त का उल्लंघन किया है। एसजे गुप्ता ने 28 जनवरी के आदेश में कहा, केवल इस तथ्य के आधार पर कि आरोपी एक अवैध अप्रवासी है, उसे अनिश्चित काल तक हिरासत में नहीं रखा जा सकता। इस स्तर पर, आरोपी को दी गई जमानत रद्द करने का कोई आधार नहीं बनता है। अदालत ने स्पष्ट किया कि यदि कोई नए तथ्य सामने आते हैं या जांच एजेंसी द्वारा कोई नया सबूत जुटाया जाता है जिससे आरोपी को हिरासत में रखना आवश्यक हो, तो अभियोजन पक्ष इस संबंध में एक

नया आवेदन देने के लिए स्वतंत्र होगा। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने उन्हें 24 नवंबर, 2025 को जमानत दी थी। राय ने जमानत रद्द करने के लिए आवेदन दिया था। अधिवक्ता हर्षित पांडे आरोपी बिलाल हुसैन की ओर से पेश हुए। अभियोजन पक्ष का आरोप है कि आरोपी बांग्लादेशी नागरिक है जिसने अवैध रूप से भारत में प्रवेश किया था। इसके अलावा, उसने आधार कार्ड सहित भारतीय पहचान पत्र प्राप्त किए थे। अभियोजन पक्ष के अनुसार, उसकी सूचना पर विभिन्न व्यक्तियों के नाम पर कई आधार कार्ड और पैन कार्ड बरामद किए गए। आरोप है कि आरोपी बांग्लादेशी नागरिकों को भारत में अवैध रूप से प्रवेश कराने और उनके लिए भारतीय पहचान पत्र प्राप्त करने में सहायक था। पूछे जाने

पर, जांच अधिकारी ने बताया कि आरोपी के पास से बरामद आधार कार्डों का सत्यापन अभी बाकी है, क्योंकि यूआईडीएआई से जवाब का इंतजार है। आरोपी बिलाल हुसैन को भारत-बांग्लादेश सीमा को अवैध रूप से पार करते हुए पकड़ा गया था, और उसकी सूचना पर बरामद की गई वस्तुओं में बांग्लादेशी नागरिकों के नाम पर आधार कार्ड और पैन कार्ड तथा बांग्लादेशी पहचान पत्र शामिल हैं। पुलिस ने उसकी जमानत का विरोध करते हुए कहा था कि उसके भाई अनीश शेख को अभी गिरफ्तार किया जाना बाकी है। यह भी कहा गया कि यदि आरोपी को जमानत दी जाती है, तो वह अदालत की कार्यवाही से भाग सकता है और अन्य वांछित व्यक्तियों को चेतावनी दे सकता है।

चुनावी वर्ष से पहले सत्या शर्मा का आक्रामक बजट, वित्तीय सुधारों पर जोर; आम आदमी पार्टी पर वार

नई दिल्ली । एमसीडी की स्थायी समिति की अध्यक्ष सत्या शर्मा ने वर्ष 2026-27 का बजट पूरी तरह चुनावी माहौल की तरह प्रस्तुत किया। बजट भाषण के दौरान उन्होंने न केवल विकास योजनाओं और वित्तीय सुधारों पर जोर दिया, बल्कि सत्ता दो साल तक एमसीडी में शासन करने वाली आम आदमी पार्टी पर भी तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि आप अपने कार्यकाल में एक भी चुनावी वादा पूरा नहीं कर पाई और जनता को केवल भ्रमित करने का काम किया। सत्या शर्मा ने कहा कि एमसीडी चुनाव के समय आम आदमी पार्टी ने 10 गारंटियां दी थीं, लेकिन निगम में शासन के दौरान उनमें से किसी एक पर भी अमल नहीं हुआ। उन्होंने आरोप लगाया कि आप के कार्यकाल में न तो निगम की वित्तीय स्थिति सुधरी न ही सफाई, स्वास्थ्य या बुनियादी ढांचे के मोर्चे पर कोई ठोस काम हुआ। इसके उलट भाजपा सरकार ने अपने 100 दिन के शासन में ही 12 में से तीन वादे पूरे कर दिखाए हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा ने सत्ता संभालते ही एमसीडी को आर्थिक संकट से उबारने की दिशा में काम शुरू किया। वर्षों बाद निगम ने मुनाफे का बजट प्रस्तुत किया है, जो इस बात का प्रमाण है कि भाजपा केवल वादे नहीं करती, बल्कि उन्हें जमीन पर उतारती है। सत्या शर्मा ने कहा कि यह बजट केवल आंकड़ों का दस्तावेज नहीं, बल्कि एमसीडी का भविष्य विजन और मिशन है। एमसीडी के अगले चुनाव वर्ष 2027 में प्रस्तावित है। इसके बावजूद बजट भाषण में जिस तरह की घोषणाएं, योजनाएं और राजनीतिक तेवर देखने को मिले, उसने इसे पूरी तरह चुनावी बजट का रूप दे दिया। सफाई व्यवस्था, कूड़ा प्रबंधन, वायु प्रदूषण नियंत्रण, पार्किंग, पार्कों का विकास, कर्मचारियों के हित, पाषण्डों की सुविधाएं और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए विशेष प्रावधान समेत हर वर्ग को साधने की कोशिश बजट में साफ नजर आई।

सीयूजी नंबर न उठाने वाले अधिकारियों पर होगी कार्रवाई : कमिशनर

मुरादाबाद।

मंडल में अधिकारियों द्वारा सीयूजी नंबर पर आने वाली फोन कॉल को रिसीव न करना तथा अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा समय पर कार्यालयों में न पहुंचने की शिकायतों पर कठोरतम कार्यवाही के निर्देश मंडलायुक्त आनंजय कुमार सिंह ने दिए हैं। आयुक्त सभागार में आयोजित विकास कार्यों की मंडलीय समीक्षा बैठक के दौरान मंडलायुक्त ने कहा कि आमजन को विभागीय सेवाओं और योजनाओं से जोड़ने तथा शासन दे निर्देशों के गंभीरतापूर्वक क्रियान्वयन में लापरवाही किसी भी दशा में नर्दश नहीं होगी। मंडल में उपलब्ध 108 और 102 एंबुलेंस सेवाओं की समीक्षा के दौरान मंडलायुक्त ने कहा कि रिस्पांस

विकास कार्यों की मंडलीय समीक्षा बैठक में लापरवाह अफसरों की लगाई क्लास

टाइमिंग मानक के अनुरूप हो साथ ही एंबुलेंस में उपलब्ध संसाधनों की क्रियाशीलता भी अनिवार्य रूप से हो ताकि मरीजों को समय पर जरूरी प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाएं प्राप्त होने में कोई समस्या उत्पन्न न हो। विद्युत कनेक्शनों की क्षमता बढ़वाने और विद्युत बिलों का भुगतान करने के दौरान उपभोक्ताओं को दिक्कतें न आए इसके लिए उन्होंने विद्युत विभाग के अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए साथ ही कहा कि झुके विद्युत पोल भी



दुरुस्त कराए जाएं ताकि कोई दुर्घटना न होने पाए। मंडल में 128 ग्राम प्रधानों के विरुद्ध प्रचलित जांच प्रक्रिया में भी मंडलायुक्त ने तेजी लाने के लिए सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए। आईजीआरएस पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों के निस्तारण के साथ

ही फीडबैक प्राप्त करने और गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखने के लिए निर्देशित किया। फार्मर रजिस्ट्री में सम्मिल और मुरादाबाद की धूमि प्रगति पर उन्होंने कहा कि 01 सप्ताह के भीतर मंडल के सभी जिलों की प्रगति में सुधार हो जाना चाहिए। वर्षों

जल संचयन हेतु संचालित खेत तालाब योजना के अंतर्गत मुरादाबाद और रामपुर में धूमि प्रगति पर भी उन्होंने नाराजगी जताई और विभागीय अधिकारियों से कारणों के बारे में पूछा। कीटनाशी बिक्री केंद्रों पर कीटनाशी रसायनों के गुणवत्ता नियंत्रण संबंधी रिपोर्ट की समीक्षा के दौरान बिजनौर और अमरोहा में कुल प्राप्त किए गए नमूनों के सापेक्ष खराब कार्यवाही प्रगति पर भी उन्होंने कारणों के बारे में जानकारी ली। नगरीय क्षेत्रों में फूटपाथ पर अवैध अतिक्रमण और अवैध पार्किंग की समस्या पर प्रभावी कदम उठाने की आवश्यकता है, मंडलायुक्त ने सभी जिलाधिकारियों को इस संबंध में निर्देशित किया। बिजनौर में कॉन्टेक्ट आधार पर तैनात महिला चिकित्साधिकारियों को सीएमओ बिजनौर द्वारा नियम विरुद्ध तरीके से

मातृत्व अवकाश प्रदान करने के प्रकरण में मंडलायुक्त ने सीएमओ बिजनौर को स्पष्टीकरण नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने एनआरएलएम, मुख्यमंत्री आवास योजना, मनरेगा अमृत सरोवर 2.0, आंगनवाड़ी केंद्रों का निर्माण, सोशल ऑडिट, मॉडल शॉप, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, छत्रवृत्ति योजना आदि की प्रगति को लेकर भी विस्तृत समीक्षा की। इस अवसर पर जिलाधिकारी मुरादाबाद अनुज सिंह, जिलाधिकारी रामपुर अजय कुमार द्विवेदी, जिलाधिकारी बिजनौर जसजीत कौर, जिलाधिकारी सम्भल राजेंद्र पैसिया, जिलाधिकारी अमरोहा श्रीमती निधि गुप्ता वत्स सहित समस्त सीडीओ एवं अन्य संबंधित अधिकारी गण मौजूद रहे।

सैनिकों के पराक्रम, त्याग और समर्पण को किया याद



मुरादाबाद।

मधुम हिरटेज दिल्ली रोड पर जिला सैनिक कल्याण कार्यालय मुरादाबाद के तत्वाधान पूर्व सैनिक पुनर्मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में कुंदरकी विधायक ठाकुर रामवीर सिंह मुख्य अतिथि एवं उत्तर प्रदेश के सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास निदेशक ब्रिगेडियर अतुल कुमार सेना मेडल (सेवानिवृत्त) और मेजर जनरल अमिताभ जोशी (सेवानिवृत्त) विशिष्ट अतिथि के रूप

में शामिल हुए। समारोह में सैकड़ों की संख्या में भूतपूर्व सैनिकों, वीर नारियों और उनके आश्रितों ने भाग लिया। जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी कमांडर ज्ञान स्वरूप (सेवानिवृत्त) ने मुख्य अतिथि एवं अन्य अतिथियों का स्वागत किया। अपने संबोधन में कुंदरकी विधायक ठाकुर रामवीर सिंह ने कहा कि यह आयोजन केवल पुनर्मिलन नहीं, बल्कि उन सैनिकों के पराक्रम, त्याग और समर्पण को याद करने का

पूर्व सैनिक पुनर्मिलन समारोह

अवसर है जिन्होंने देश की सुरक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित किया। उन्होंने पूर्व सैनिकों को केंद्र और रा'य सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के बारे में भी जानकारी दी। मुरादाबाद के सैनिक इतिहास का उल्लेख करते हुए उन्होंने आगे कहा कि यहां के पूर्व सैनिक और वीर नारियाँ हमारी प्रेरणा हैं, और यह पुनर्मिलन नई पीढ़ी को राष्ट्रभक्ति और त्याग के सर्वोच्च उदाहरण के रूप में सैनिक जीवन का संदेश देता है। सैनिकों की बदीलत देश सुरक्षित है। जान जोखिम में डालकर देश और नागरिकों की सुरक्षा में सीमा पर डटे रहते हैं। एक सैनिक अपनी नौकरी का पूरा कार्यकाल देश की प्रतिष्ठा व मन सम्मान के लिए न्योछावर कर देते हैं। विधायक ने कहा कि यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि पूर्व सैनिकों के मिलन समारोह में भाग लेने का मौका मिला।

यूजीसी कानून को लेकर सड़कों पर उतरा सवर्ण समाज

मुरादाबाद।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के नए नियमों को काला कानून बताते हुए गुरुवार को सम्पूर्ण सवर्ण समाज, शत्रिय महासभा, अग्रवाल महासभा, अखिल भारतीय कायस्थ महासभा एवं स्वर्ण समाज के सैकड़ों लोगों ने अम्बेडकर पार्क, सिविल लाईंस में एकत्र होकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। सभा के बाद पदाधिकारी और कार्यकर्ता पैदल मार्च करते हुए जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे, जहां जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन सौंपा गया।

प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने यूजीसी का काला कानून वापस लो सवर्ण छात्रों के साथ अन्याय बंद करो और शिक्षा में भेदभाव नहीं चलेगा जैसे नारे लगाए। प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि यूजीसी का नया नियम सवर्ण एवं सामान्य वर्ग के छात्रों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार करता है और शिक्षा संस्थानों में भय का माहौल पैदा कर रहा है। सभा को संबोधित करते हुए सवर्ण समाज के राष्ट्रीय



महामंत्री संजीव आकांक्षी ने कहा कि बिना प्रमाण की शिकायतों के आधार पर सामान्य वर्ग के छात्रों को अपराधी की तरह देखना सरासर अन्याय है। रजत शर्मा ने कहा कि ये नियम संविधान में प्रदत्त समानता के अधिकार का उल्लंघन करते हैं और शिक्षा व्यवस्था को कमजोर कर रहे हैं। शत्रिय समाज से अभिमत ठाकुर ने आरोप लगाया कि यह नियम शिक्षा के क्षेत्र में जातिगत द्वेष और राजनीति को बढ़ावा दे रहा है, जबकि शिक्षा का मूल्यंकन योग्यता, परिश्रम और नैतिकता के आधार पर होना चाहिए। वहीं चार एसोसिएशन के सचिव कपिल गुप्ता ने कहा कि यदि शिकायत

जुलूस निकालकर किया प्रदर्शन

झुटी पाई जाती है, तो शिकायतकर्ता के विरुद्ध किसी प्रकार की दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान न होना न्याय के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है। वक्ताओं ने कहा कि नए नियमों के तहत अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों को जाति आधारित भेदभाव की शिकायत पर विशेष सरक्षण दिया गया है, जबकि सामान्य वर्ग के छात्रों को बिना प्रमाण की शिकायतों पर भी कार्रवाई के खतरे में डाल दिया गया है। कई उच्च न्यायालय भी पूर्व में ऐसे कानूनों के दुरुपयोग पर टिप्पणी कर चुके हैं। सभा में मौजूद लोगों ने एक स्वर में चेतावनी दी कि यदि 15 दिनों के भीतर सरकार ने मार्गों पर संज्ञान नहीं लिया, तो मुरादाबाद सहित पूरे प्रदेश में आंदोलन को और तेज किया जाएगा। इस दौरान डॉ. प्रदीप शर्मा, आचार्य राजेश शर्मा, सुनील कुमार शर्मा, अजय शर्मा, आदि मौजूद रहे।

संविधान को जानो विषय पर हुई किज प्रतियोगिता



मुरादाबाद।

तीर्थकर महावीर यूनिवर्सिटी, मुरादाबाद के फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग के फ्री थिंक्स क्लब की ओर से अपने संविधान को जानो पर आयोजित किज प्रतियोगिता में टीम भारत के संजीव पाल और शिवम विजेता रहे। टीम इंडिया के संयम जैन और पारस जैन को द्वितीय, जबकि टीम हिंदुस्तान के अनूप कुमार, रेशु शर्मा और कृष्णा वाण्येय तृतीय स्थान पर रहे। इससे पूर्व फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग के डीन प्रो. रविकुमार द्विवेदी, सीसीएसआईटी के विभागाध्यक्ष प्रो. शंभु भारद्वाज, एडिशनल एचओडी डॉ. रूपल गुप्ता, फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग के फ्री थिंक्स क्लब की कोऑर्डिनेटर डॉ. इंदु त्रिपाठी आदि ने मां सरस्वती के समक्ष दीप प्र+वर्तित करके प्रतियोगिता का शुभारम्भ किया। डीन प्रो. द्विवेदी बोले, किज प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य स्टूडेंट्स में भारतीय संविधान के प्रति जागरूकता बढ़ाना, राष्ट्रप्रेम एवम् नागरिक चेतना की

टीम इंडिया के संयम जैन और पारस जैन को द्वितीय, जबकि टीम हिंदुस्तान के अनूप कुमार, रेशु शर्मा और कृष्णा वाण्येय तृतीय स्थान पर रहे।

भावना को सुदृढ़ करना है। प्रतियोगिता के प्रारंभिक चरण में कुल 18 टीमों ने भाग लिया। कड़ी प्रतिस्पर्धा के बाद पांच टीमों- इंडिया, भारत, हिंदुस्तान, भारतवर्ष और आर्यवर्त का चयन फाइनल राउंड के लिए हुआ। कार्यक्रम में इलेक्ट्रॉनिक्स की विभागाध्यक्षा डॉ. अलका वर्मा, सिविल इंजीनियरिंग के विभागाध्यक्ष डॉ. आशीष सिमाल्टी, सीआरसी हेड डॉ. संकल्प गोयल, डॉ. प्रियांक सिंघल, डॉ. पराग अग्रवाल, डॉ. संदीप वर्मा आदि मौजूद रहे। संचालन स्टूडेंट्स अंशिका कक्कड़ और कुमारी प्रियांशी ने किया।

रक्तदान मानवता की सबसे बड़ी सेवा: डॉ. काव्य सौरभ

मुरादाबाद। रोटरी क्लब मुरादाबाद ईस्ट द्वारा द रोटरी फाउंडेशन की ग्लोबल ग्रांट के अंतर्गत आयोजित रक्तदान जागरूकता अभियान का आयोजन गुरुवार को दिल्ली रोड स्थित राहौ होटल एंड बैकैट्स में किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में डिस्ट्रिक्ट गवर्नर नामिनी डॉ. काव्य सौरभ रस्तोगी उपस्थित रहे। आयोजन में लगभग 200 रोटेरियन सदस्यों, संगिनियों एवं युवाओं की सहभागिता रही। कार्यक्रम के दौरान रक्तदान जागरूकता पत्रक का विधिवत विमोचन मुख्य अतिथि डॉ. काव्य सौरभ रस्तोगी एवं अतिथियों द्वारा किया गया। इस अवसर पर डिस्ट्रिक्ट रोटरी फाउंडेशन चेयर एवं पूर्व डिस्ट्रिक्ट गवर्नर रोटेरियन ललित मोहन गुप्ता की उपस्थिति विशिष्ट अतिथि के रूप में रही। मुख्य अतिथि डॉ. काव्य सौरभ रस्तोगी ने अपने संबोधन में रक्तदान

को मानवता की सबसे बड़ी सेवा बताते हुए युवाओं से आगे आकर नियमित रक्तदाता बनने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि यदि युवा इस सेवा को जीवन का हिस्सा बना लें, तो किसी भी आपात स्थिति में रक्त की कमी नहीं होगी। उन्होंने रोटरी क्लब मुरादाबाद ईस्ट द्वारा किए जा रहे सेवा कार्यों की भूरि-भूरि प्रशंसा की। इस अवसर पर डीआरएफसी ललित मोहन गुप्ता ने कहा कि रोटरी फाउंडेशन के ग्लोबल ग्रांट्स समाज में स्थायी और प्रभावी परिवर्तन लाने का सशक्त माध्यम है। उन्होंने रक्तदान जैसे अभियानों को समय की आवश्यकता बताते हुए क्लब के प्रयासों की सराहना की। डॉ. रक्षा गाँ ने रक्तदान के संबंध में अपना शोध प्रस्तुत किया। चिकित्सा स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग के कॉर्डिनेटर चंद्रशेखर ने संगिनियों से रक्तदान जागरूकता अभियान में

जुटने की अपील की। समाजसेवी संजीव गोयल ने अपने रक्तदान के अनुभव साझा किए। वहीं सरदार गुरविंदर सिंह ने कविता के माध्यम से रक्तदान के लिए प्रेरित किया। समाजसेवी विवेक गोयल ने भी रक्तदान पर अपने अनुभव साझा किए। कार्यक्रम में क्रेस्ट हॉस्पिटल के सहयोग से निःशुल्क ब्लड स्क्रीनिंग एवं हीमोग्लोबिन जांच की गई तथा x0 युवक-युवतियों ने रक्तदान की शपथ ली, जिसे उपस्थितजनों ने करतल ध्वनि के साथ प्रोत्साहित किया। कार्यक्रम की शुरुआत में क्लब अध्यक्ष रोटेरियन संजय किशोर ने सभी अतिथियों का स्वागत किया, जबकि कार्यक्रम के अंत में सचिव रोटेरियन विजय मेहरोत्रा ने सभी सहयोगी संस्थाओं, चिकित्सकीय टीम एवं उपस्थित जनसमूह के प्रति आभार व्यक्त किया।

दुर्गा फाउंडेशन द्वारा महिलाओं व श्रद्धालुओं को मिल रहा सुरक्षा और सम्मान का सहारा

प्रयागराज।

दुर्गा फाउंडेशन द्वारा महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और सुविधाओं को लेकर लगातार सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं। समाजसेवा के क्षेत्र में सक्रिय यह संस्था महिला सशक्तिकरण और जनकल्याण को अपना मुख्य उद्देश्य मानकर कार्य कर रही है। फाउंडेशन की सचिव दुर्गावती ने बताया कि दुर्गा फाउंडेशन का लक्ष्य महिलाओं को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराना, उन्हें जागरूक बनाना तथा आत्मनिर्भरता की दिशा में हर संभव सहयोग प्रदान करना है। सचिव दुर्गावती ने कहा कि वर्तमान समय में महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक और मानसिक रूप से सशक्त करना बेहद आवश्यक है। इसी सोच के साथ दुर्गा फाउंडेशन द्वारा समय-समय पर महिलाओं को उनके अधिकारों, सुरक्षा उपायों और



सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाती है। इसके साथ ही जरूरतमंद महिलाओं को आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराकर उनका मनोबल बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। उन्होंने बताया कि इन दिनों आयोजित मां मेले के दौरान भी दुर्गा फाउंडेशन पूरी सक्रियता के साथ सेवा कार्यों में जुटी हुई है। मेले में दूर-दराज से आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए फाउंडेशन के स्वयंसेवक

लगातार निगरानी रख रहे हैं। श्रद्धालुओं को उचित मार्गदर्शन, प्राथमिक चिकित्सा, पानी और आवश्यक सहयोग प्रदान किया जा रहा है। विशेष रूप से महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। दुर्गा फाउंडेशन की सचिव दुर्गावती ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि श्रद्धालुओं और महिलाओं का सम्मान करना हमारा प्रथम कर्तव्य है। सेवा भाव के माध्यम से ही समाज में सकारात्मक

परिवर्तन लाया जा सकता है।- उन्होंने यह भी कहा कि फाउंडेशन का हर सदस्य सेवा को ही अपना धर्म मानकर कार्य करता है और आगे भी इसी भावना के साथ समाजसेवा जारी रखी जाएगी। मां मेले में दुर्गा फाउंडेशन की सक्रिय भूमिका से श्रद्धालुओं में सुरक्षा और विश्वास का भाव देखने को मिल रहा है। स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं ने फाउंडेशन के इस प्रयास की खुलकर सराहना की है। लोगों का कहना है कि ऐसे सामाजिक संगठनों की उपस्थिति से न केवल महिलाओं की सुरक्षा का पहरास होता है, बल्कि समाज में सहयोग और संवेदनशीलता की भावना भी मजबूत होती है। दुर्गा फाउंडेशन ने यह संकल्प लिया है कि भविष्य में भी महिला सशक्तिकरण, जनसेवा और सामाजिक उत्थान के कार्य पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ निरंतर किए जाते रहेंगे।

डंबल से मारा, दरवाजे पर सिर पटका, दिल्ली पुलिस की महिला कमांडो की पति ने की हत्या, 4 महीने प्रेगनेंट थी

नई दिल्ली । दिल्ली से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। आरोप है कि हरियाणा सोनीपत जिले की रहने वाली कानल नाम की एक महिला को उसके ही पति ने बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी। इस हत्याकांड में दोहन प्रताड़ना का राजा किया गया है। कानल दिल्ली पुलिस की SWAT कमांडो यूनिट में तैनात

थी जबकि आरोपी पति अंकुर खुद रक्षा मंत्रालय में क्लर्क के पद पर काम करता है और दिल्ली कैट में पोस्टेड है। कानल गरीब के बड़े गांव की रहने वाली थी और चार महीने प्रेगनेंट थी। आरोप है कि उसके पति और समुदाय वालों ने मिलकर दोहन के लिए उसकी हत्या कर दी। एक ओर कानल के घर

वाले नन्हें मेहमान के आने का इंतजार कर रहे थे और आरोपी अंकुर ने उससे उनकी बेटी भी छीन ली। कानल के परिवार वालों का कहना है कि दोहन के लिए समुदाय वालों ने दो हत्याएं की हैं। एक कानल की और दूसरी उस 4 महीने के भ्रूण की। कानल का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ

किया गया। कानल और पति अंकुर दिल्ली के हासका जिले के मोहन गाईन थाना इलाके में रहते थे। पहले इस मामले में हत्या की कोशिश का केस दर्ज किया गया था, लेकिन इलाज के दौरान कानल की मौत के बाद अब इसमें हत्या की धारा जोड़ दी गई। आरोपी पति को पहले ही गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में

भेजा जा चुका है। जानकारी के मुताबिक, 27 साल की कानल ने साल 2022 में अपना प्रेनूपेशन पूरा किया था। यहाँ पर उसकी मुलाकात गरीब के रहने वाले अंकुर से हुई थी। दोस्ती में दोस्ती हुई जो समय के साथ प्यार में बदल गई। कानल और अंकुर ने अपने परिवार वालों को मनाया और शादी कर ली।

शादी से पहले ही कानल साल 2023 में दिल्ली पुलिस की स्काट कमांडो टीम में मिलेक्ट हुई थी। अंकुर भी दिल्ली रक्षा मंत्रालय में क्लर्क के पद पर लग गया था। हालांकि, शादी के 15 दिन बाद ही अंकुर के घर वाले गाड़ी और दोहन की मांग करते हुए कानल को परेशान करने लगे थे।

कानल के सिर के कई हिस्सों में गहरी चोटें थीं। पुलिस के मुताबिक, 22 जनवरी को रात करीब 10 बने मोहन गाईन स्थित फ्लैट में पति-पत्नी के बीच झगड़ा हुआ। इसी दौरान आरोपी अंकुर ने कानल पर जानलेवा हमला कर दिया। हमले में कानल के सिर पर गंभीर चोटें आईं और

वह मौके पर ही बेहोश हो गईं। आरोपी अंकुर ही गंभीर रूप से घायल कानल को मोहन गाईन स्थित ताक अस्पताल लेकर पहुंचा, जहाँ उसे आईसीयू में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों की रिपोर्ट में सिर के कई हिस्सों में गहरी चोटें, कट के निशान और कान से खून बहने की पुष्टि हुई।

सीएम ममता बनर्जी सोमवार को मुख्य निर्वाचन आयुक्त से मिलेंगी



बंगाल । तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) की प्रमुख ममता बनर्जी के नेतृत्व में पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल अगले सप्ताह सोमवार शाम को मुख्य निर्वाचन आयुक्त जमेश कुमार से मुलाकात करेगा। निर्वाचन आयोग के अधिकारियों ने कहा कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त कुमार ने बनर्जी के नेतृत्व वाले टीएमसी के प्रतिनिधिमंडल को दो फरवरी को शाम चार बजे मिलने का समय दिया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने चुनावों को कहा था कि वह राय में जारी विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के विक्लाफ जल्द हो दिखें जाएंगी। बनर्जी ने एसआईआर के नाम पर लोगों का अकथनीय उपीड़न करने के लिए निर्वाचन आयोग और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर तीखा हमला किया।

यूजीसी के नए नियम अस्पष्ट, दुरुपयोग का खतरा... सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक

नई दिल्ली ।

सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी (उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने) विनियम, 2026 को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई को। कोर्ट में इन विनियमों को सामान्य वर्गों के शिक्षा भेदभावपूर्ण होने के आधार पर चुनौती दी गई है। ऐसे में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए नियमों पर रोक लगा दी। अब नए आदेश तक 2012 के नियम ही लागू रहेंगे।

केन्द्र को नोटिस जारी, 19 मार्च को अगली सुनवाई। सुनवाई के दौरान सीपी अदालत ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि नए नियम अस्पष्ट हैं। कोर्ट के कहा कि नए यूजीसी नियमों का दुरुपयोग हो सकता है।

इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र सरकार को नोटिस जारी किया और यूजीसी के नए नियमों पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। अब इस मामले पर अगली सुनवाई 19 मार्च को होगी।

केन्द्र और यूजीसी से जवाब



केन्द्र को नया ड्राफ्ट तैयार करने के निर्देश, अगले आदेश तक 2012 वाले नियम लागू, देशभर में नियमों का विरोध

भांग। मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट और न्यायमूर्ति जयमाल्य बाबू की पीठ ने इन रिट याचिकाओं की सुनवाई की। इस दौरान मुख्य न्यायाधीश

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें जातिविहीन समाज की ओर बढ़ना चाहिए या हम पीछे जा रहे हैं। जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्या हम उल्टी दिशा में जा रहे हैं।

सुरक्षा चाहिए, उनके लिए व्यवस्था लेनी चाहिए। इसी के साथ उन्होंने केन्द्र और यूजीसी से जवाब मांगा है।

साथ ही कहा है कि एक विशेष कमेटी भी बनाई जा सकती है। इसी के साथ नए नियमों की भाषा को स्पष्ट करने के लिए विशेषज्ञों की जरूरत पर भी जोर दिया।

विकसित भारत 2047 के लिए अगले 25 साल का अहम पड़ाव शुरू - पीएम मोदी



नई दिल्ली । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बजट सत्र की शुरुआत के अवसर पर संसद पहुंचे। मौखिक को संबोधित करते हुए उन्होंने आगामी बजट के फल और देश की आर्थिक दिशा पर विस्तार से बात की। प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि यह बजट सत्र केवल एक वार्षिक वित्तीय लेखा-जोखा नहीं है, बल्कि विकसित भारत के सपने को साकार करने की पहल में एक निर्णायक कदम है। पीएम मोदी ने कहा कि कल राष्ट्रपति का भाषण 140 करोड़ भारतीयों के भरोसे को दिखाता है और उनकी क्षमताओं और आकांक्षाओं, खासकर युवाओं की

आकांक्षाओं को बताता है। उन्होंने कहा कि इस भाषण ने 2026 सत्र की शुरुआत में सभी संसदों को मार्गदर्शन दिया है, और विश्वास जताया कि संसद राष्ट्रपति द्वारा बताई गई उम्मीदों की गंभीरता से लेगी। पीएम नरेंद्र मोदी कहते हैं, 21वीं सदी का 1/4 हिस्सा बीत चुका है। यह अगले चौथाई हिस्से की शुरुआत है। विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को पाने के लिए, इन 25 सालों का महत्वपूर्ण चरण शुरू हो गया है। सदी के इस दूसरे चौथाई हिस्से का फल बजट पेश होने वाला है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देश की पहली वित्त मंत्री हैं, देश की पहली महिला

संत रविदास जयंती समारोह की तैयारियां पूरी, मुख्यमंत्री नायब सिंह करेंगे कई घोषणाएं

चंडीगढ़ ।

हरियाणा सरकार और दलित संगठनों की ओर से 31 जनवरी को कुरुक्षेत्र के ठमरी में मनाई जाने वाली संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की 649वीं जयंती की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह यैनी और केंद्रीय उन्ना, आवासन व शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल संत रविदास जी की ब्रह्मभूमि आर्पित करते हुए दलित कल्याण की कई घोषणाएं कर सकते हैं। पूरे प्रदेश से दलित समान के लोग संत रविदास जयंती समारोह में भागीदारी करने कुरुक्षेत्र के ठमरी में पहुंचेंगे। हरियाणा सरकार की जयंतीवर्षीय कार्यक्रम रूप से मनाई जा रही है। संत रविदास के जयंती समारोह में हरियाणा सरकार के साथ हमाय सविधान-रूपण स्वाभिमान जन चेतना ट्रस्ट मुख्य

अध्यक्ष को भूमिका में है।

केंद्रीय उन्ना मंत्री के मुख्य मौखिका सलाहकार और जन चेतना ट्रस्ट के संयोजक सुदेश कटारिया ने संत रविदास जयंती की तैयारियों के लिए पूरे राज्य का दौरा किया। कार्यक्रम स्थल का अंशुलीकरण करने के बाद सुदेश कटारिया ने कहा कि केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल और मुख्यमंत्री नायब सिंह यैनी जयंती समारोह में दलितों के उत्थान को नई योजनाओं को



प्रोत्साहित करेंगे। हरियाणा सरकार के कैबिनेट मंत्री कुण्ड लाल पंवार की ओर से मुख्यमंत्री को दलित समान की ओर से एक मांगपत्र सौंपा जा चुका है। सुदेश कटारिया ने बताया कि हरियाणा सरकार महापुरुषों और संतों को सम्मान करने के लिए लगातार राज्य स्तरीय कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री रहते हुए मनोहर लाल ने यह परंपरा आरंभ की थी, जिसे मौजूदा



मुख्यमंत्री नायब सिंह यैनी पूरे सम्मान के साथ निभा रहे हैं। कुरुक्षेत्र के ठमरी में आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय कार्यक्रम को तैयारियों के लिए छल तो में मुख्यमंत्री नायब सिंह यैनी ने दलित मंत्रियों, भाजपा नेताओं और दलित संगठनों के प्रमुख पदाधिकारियों की बैठक लेकर उन्हें जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। भाजपा एसएम मोर्चा की ओर से भी कार्यक्रम की तैयारियों का जोर रहे

है। जनचेतना ट्रस्ट के संयोजक सुदेश कटारिया के अनुसार राज्य स्तरीय कार्यक्रम में 14 जिलों पंचकुला, अंबाला, यमुनागर, कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, हिसार, नौदा, हंसी, झज्जर तथा फतेहबाद से बलाक स्तर तक और शेष नौ जिलों से जिला स्तर से बड़ी संख्या में ब्रह्मलू भाग लेंगे। कार्यक्रम की तैयारियों में हरियाणा सरकार के कैबिनेट मंत्री कुण्ड लाल पंवार, भाजपा एसएम मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व विधायक मयाकाश नागवान, पूर्व मंत्री डा. बनवारी लाल, नीलोखेड़ी के विधायक भागवान दास कबीरपंथी, भाजपा की प्रदेश उपाध्यक्ष बंती कटारिया समेत कई दलित नेता जुड़े रहे। कटारिया ने बताया कि इस राज्य स्तरीय कार्यक्रम में प्रदेश सरकार के सभी मंत्रियों, विधायकों, सांसदों और नगरपालिकाओं की आमंत्रित किया गया है।

अविमुक्तेश्वरानंद का विवाद हाई कोर्ट पहुंचा, अधिकारियों को निलंबित करने का आदेश दिए जाने की मांग



प्रयागराज । स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और माध मेला प्रशासन का विवाद अब इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंच गया है। अधिकारों और धर्म के नाम पर अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने मुख्य न्यायाधीश के समक्ष पत्र याचिका (लेटर पिटोरशन) दाखिल कर 18 जनवरी 2026 को यैनी अमावस्या पर हुई घटना की सीबीआई से जांच करवाओ और प्रयागराज कमिश्नर, डीएम, पुलिस कमिश्नर तथा मेला अधिकारियों को निलंबित करने का आदेश देने की मांग की है। याचिका में नाबालिग बटुकों को हिरासत में रखकर उनसे मार्गोपट करने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करने की भी मांग की गई है। याचिका के अनुसार, माध मेला समारोह में धर्म का पवित्र उत्सव है। इसमें मौनी अमावस्या का खान सबसे महत्वपूर्ण है। इस बार मौनी अमावस्या पर अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जब संगम खान के लिए शिथियों के साथ पालकों से जा रहे तो प्रशासन और पुलिस के अधिकारियों ने उनको जबरदस्त पालकों से उतार दिया और पैदल खान जा कर खान करने के लिए कहा। साथ चल रहे 11 से 14 वर्ष के बटुकों को हिरासत में लेकर मार्गोपट तथा उनकी शिक्षा (चोटी) फंका कर बर्खास्त किया। नाबालिग बटुकों से ऐसी यादों जुवेनाइल जस्टिस एंड प्रोटेक्शन एक्ट के प्राविधानों का उल्लंघन होने के साथ दंडनीय अपराध है। बटुकों की शिक्षा खोजना समानता धर्म को अपमानित करना है। मेला प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट में लिखित मामले का हवाला देकर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के पद को लेकर सवाल उठाए हैं। शकचर्चा की निवृत्ति को तय धार्मिक प्रक्रिया है, जो अखाड़ों और काशी विद्वत् परिषद के माध्यम से संजं होती है। प्रशासन को उस पर सवाल उठाने का अधिकार नहीं है।

इंडिया गठबंधन में पहली बड़ी दरार? चंडीगढ़ में कांग्रेस-आप की जंग ने बीजेपी को जिताया

चंडीगढ़।

गुरुवार सुक भोजन के सौभ जोशी चंडीगढ़ के नए महापौर चुने गए। कांग्रेस पर सहयोगी माने जाने वाले आम आदमी और कांग्रेस के बीच संयुक्त रणनीति पर सहमति नहीं बन पाने के कारण यह चुनाव विफल रहा। जोशी को 18 वोट मिले, जबकि आम आदमी पार्टी के योगेश हिंगरा को 11 और कांग्रेस के गुरपीत सिंह सानी को सात वोट मिले। भाजपा ने दो उप महापौर पद भी जीत लिए। नरसमग्रीत सिंह बॉथ उप महापौर और सुमन शर्मा उप महापौर चुने गए। सिंह और शर्मा दोनों को 18-18 वोट मिले। कांग्रेस ने उप महापौर पदों के लिए चुनाव नहीं लड़ा। चंडीगढ़ मेयर चुनाव जीतने के लिए उम्मीदवार को 35 पार्षदों वाली विधानसभा में 19 वोटों की आवश्यकता होती है। भाजपा के पास 18 पार्षद हैं, जिन्होंने सभी ने



अवसर दिया, उसे देखते हुए मैं न्यू स्तर के भाजपा कार्यकर्ताओं से कहना चाहूंगा कि मैं पहली बार 1989 में बूथ पर बैठ था और आज वहीं नेतृत्व मैं मुझे इस पद तक पहुंचा है। मेयर चुनाव जीतने के लिए उम्मीदवार को 35 पार्षदों वाली विधानसभा में 19 वोटों की आवश्यकता होती है। भाजपा के पास 18 पार्षद हैं, जिन्होंने सभी ने

अपने उम्मीदवार के पक्ष में मतदान किया। आम आदमी पार्टी के पास 11 और कांग्रेस के पास सात पार्षद हैं, जिन्होंने उसके चंडीगढ़ सांसद मनीष तिवारी का वोट भी शामिल है। इसका मतलब यह था कि कांग्रेस-आप गठबंधन - जिससे दोनों पक्षों को 18-18 वोट मिलते हैं भाजपा को इस चुनाव में पूर्ण जीत से रोकने का एकमात्र तरीका था। अगर ऐसा होता, तो स्थिति में अनुसार, सिखा उल्लंघन चुनाव का फैसला हो सकता था। लेकिन पिछले हफ्ते आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के साथ गठबंधन की खबरों को खारिज करते हुए कहा कि पार्टी ने देश को लुटा है। पार्टी के अनुसार खंड ने कहा कि कांग्रेस के साथ कभी कोई गठबंधन नहीं हो सकता, जबकि कुछ ही दिन पहले कांग्रेस नेताओं ने कहा था कि वे आप के साथ बातचीत कर रहे हैं।

प्रधानमंत्री ने पाखंड से भरा हुआ देश के नाम संदेश दिया- कांग्रेस



नई दिल्ली । कांग्रेस ने गुरुवार को आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के हर सत्र को तरह इस बार भी पाखंड से भरा देश के नाम संदेश दिया है। बजट सत्र की शुरुआत में संसद भवन परिसर में अपने पहले पार्षदों के संबोधन में प्रधानमंत्री

मोदी ने कहा कि देश लंबे समय से लंबित समस्याओं से बाहर निकल रहा है और दीर्घकालिक समाधान को दिशा में काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि अब समय व्यवधान खड़े करने का नहीं, बल्कि समाधान खोजने का है। प्रधानमंत्री के बयान के बाद महासचिव जयदाम रमेश ने

'कैबिनेट पर पोस्ट किया, वह (प्रधानमंत्री) राष्ट्रीय मुद्दों पर विपक्ष को विश्वास में लेने के लिए न तो सर्वदलीय बैठकों को बुलाएंगे और न ही उनकी आवश्यकता करेंगे। वह आखिरी समय में विपक्षक पेश करेंगे और आवश्यक विषाया जांच-पड़ताल के बिना उन्हें संसद में बुलाने पर पास करवा लेंगे। उन्होंने कहा, "वह संसद में बैठकर विपक्षी नेताओं की बिताओं का जवाब देने के बजाय दोनों सदनों में चुनावी रैली जैसे भाषण देंगे। हर सत्र की शुरुआत से पहले वह संसद को पुष्पमि बनाकर अपना हमेशा की तरह पाखंड से भरा हुआ 'देश के नाम संदेश देंगे। उन्होंने कटाक्ष किया, "आज का प्रदर्शन उसी सिलसिले की एक कड़ी है।

अखिलेश का बीजेपी सरकार पर तंज- प्रधानमंत्री के निर्वाचन क्षेत्र में नहीं बनने दी जा रही मेट्रो

प्रेंटर नोएडा।

समाजवादी पार्टी (सब) के प्रमुख अखिलेश यादव ने केंद्रीय बजट, नोएडा इंजीनियरिंग मॉडल और यूजीसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई पर प्रतिक्रिया दी है। अखिलेश यादव ने केंद्रीय बजट

को लेकर भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए कहा, प्रधानमंत्री अपने भाषण में भारत को सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क मिलने की बात कह रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के सीएम, प्रधानमंत्री के निर्वाचन क्षेत्र में मेट्रो निर्माण नहीं होने दे रहे हैं।



इंजीनियरिंग मॉडल मामले पर यह बोले। नोएडा में हुई इंजीनियरिंग की मौत के मामले पर कहा, जब उन्हें मदद की जरूरत थी, तब उन तक मदद क्यों नहीं पहुंची? हमें पता चला है कि पॉइंट का परिवार गुजरात से है। प्रधानमंत्री के

गुजरात से होने के बावजूद सरकार उस व्यक्ति को नहीं बना सकती। यूजीसी नियम पर रोक लगाए जाने पर कहा यह बात। साथ ही सुप्रीम कोर्ट द्वारा यूजीसी इंडिग्टी रगुलेशन पर रोक लगाने पर सच प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, यूजीसी के मामले में जो बातें

निकलकर आ रही हैं, हमारा मानना है कि दोषी ना बने और निरीक्ष के साथ अजब ना हो। इससे पहले भी 2012 में रगुलेशन आए थे... हमारा संविधान कहता है कि हम कहीं भेदभाव नहीं कर सकते हैं, हमारे तमाम कानूनों के बावजूद समान-समय पर भेदभाव होता है।